

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 700424 / 16

संस्थित दिनांक-22.07.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. राहुल पुत्र मुन्नासिंह गुर्जर उम्र 20 साल

2. मौनूसिंह पुत्र मुन्नासिंह गुर्जर उम्र 22 साल

निवासीगण डांग सरकार थाना गोहद चौराहा

जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 21.09.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा)

की धारा 452 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20.06.16 को दस बजे के लगभग फरियादी के ग्राम डांग में फरियादी पिकी की मारपीट करने के आशय से फरियादी के घर में प्रवेश कर आपराधिक ग्रहअतिचार कारित किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323, 294, 506 बी के आरोप से राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया गया है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 20.06.16 को सुबह करीब दस बजे फरियादी पिकी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की गयी कि उसके खेत के पास डी०पी० से बिजली के तार डले थे जिन्हें अभियुक्तगण ने काट दिया जिसका उलाहना उसने अभियुक्तगण के घरवालों को दिया था इसी बात पर अभियुक्तगण उक्त दिनांक को फरियादी के घर डण्डा लेकर घुस आए और माँ बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे। मना करने पर राहुल ने डण्डा मारा जो गर्दन में लगा, मौनू ने डण्डा मारा जो बाएं हाथ की उंगली में लगा और खून निकल आया। सौनू तथा सुरेश व्यास ने बीच बचाव किया। अभियुक्तगण जाते जाते जान से मारने की धमकी दे गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र०-143/16 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शाभौका बनाया गया साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण ने दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर स्वयं के निर्दोष होने तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 20.06.16 को दस बजे के लगभग फरियादी के ग्राम डांग में फरियादी पिकी की मारपीट करने के आशय से फरियादी के घर में प्रवेश कर आपराधिक ग्रहअतिचार कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० विजय उटगेरकर अ०सा० 1, पिकी उर्फ हनुमंत अ०सा० 2, सोनू अ०सा० 3 किशनलाल राठौर अ०सा० 4 एवं सुरेश व्यास अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी पिकी अ०सा० 2 यह कथन करता है कि घटना साक्ष्य से एक साल पहले गर्मी के सुबह 10-11 बजे की है। उसके खेत के पास डीपी से बिजली के तार डले थे जिन्हें आरोपीगण ने काट लिया था। उसने उनके घरवालों को बताया तो घटना के समय आरोपीगण उसके घर के दरवाजे पर आकर गाली गलौंच करने लगे। जब वह घर के बाहर आया और कहा कि गाली क्यों दे रहे हो तो आरोपीगण बोले कि तुमने घर में क्यों बताया और फरियादी का कालर पकड़ लिया। उसके भाई सोनू ने आकर छुड़ाया तो आरोपीगण वापस चले गए। उक्त बात की रिपोर्ट उसने थाना गोहद चौराहा में प्र०पी० 2 के रूप में की जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है। सोनू अ०सा० 3 भी इसी तथ्य का समर्थन करता है कि अभियुक्तगण उसके घर के बाहर आकर गाली गलौंच कर रहे थे तथा मना करने पर फरियादी पिकी का कालर पकड़ लिया तो उसने बचाव किया था। कथित चक्षुदर्शी सुरेश व्यास अ०सा० 5 द्वारा प्रकरण में अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी एवं चक्षुदर्शी सोनू अ०सा० 3 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के मानव निवास अथवा संपत्ति की अभिरक्षा हेतु प्रयुक्त स्थान में अपराध कारित करने के आशय से तैयारी कर प्रवेश किया गया हो। अभिकथित घटना घर के दरवाजे के बारह मुंहवाद, गाली गलौंच व कालर पकड़ लेने की बताई गयी है।

8. प्रकरण के महत्वपूर्ण व सारवान साक्षी फरियादी पिकी अ०सा० 2, सोनू अ०सा० 3 तथा सुरेश व्यास अ०सा० 5 द्वारा संहिता की धारा 452 के आवश्यक तत्व गठित किए जाने के संबंध में अभियोजन की साक्ष्य में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किया गया है। फरियादी प्रपी० 1 की रिपोर्ट में बी से बी भाग पर डण्डा लेकर उसके घर में घुस आने तथा डण्डे से अभियुक्तगण द्वारा उसे स्वेच्छा

उपहति कारित करने के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से स्पष्टतः इंकार करते हैं। पुलिस कथन प्र०पी० 4 में भी उक्त तथ्यों का सुझाव दिए जाने पर इंकार करते हैं। सोनू अ०सा० 3 भी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण को आपराधिक ग्रहअतिचार कारित करने के संबंध में सुझाव दिए जाने पर इंकार करते हैं और पुलिस कथन प्र०पी० 5 में ए से ए भाग पर उक्त विनिर्दिष्ट तथ्यों को लिखाए जाने से इंकार करते हैं। साक्षीगण पक्षविरोधी होकर अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन अधिरोपित आरोप के संबंध में नहीं करते हैं।

9. प्रकरण में डा० विजय उटगेरकर अ०सा० 1 तथा किशनलाल अ०सा० 4 की अभिसाक्ष्य चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में न होकर क्रमशः चिकित्सीय एवं अनुसंधानकर्ता के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य है। उक्त साक्ष्य अधिरोपित आरोप के संबंध में सारवान प्रकृति की नहीं हैं। अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया है कि फरियादी द्वारा राजीनामा कर लिया है इस कारण से उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध कथन नहीं किया जा रहा है। इस तर्क के संबंध में ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिरोपित आरोप के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं हैं। जहां तक प्राथमिकी प्र०पी० 2 एवं पुलिस कथन प्र०पी० 4, 5 एवं 8 का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते। न्यायदृष्टान्त— रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्तरी कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को धारा 452 भादस० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। राजीनामा में शमन की गयी धारा के संबंध में अभियुक्तगण का प्रभाव दोषमुक्ति का होगा।

11. अभियुक्तगण की जमानत व मुचलके निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।

12. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)